सं. 20014/03/2010-रा.भा./का-2

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110 001 दिनांक : जनवरी 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 35वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 35वीं बैठक 29 एवं 30 दिसंबर, 2010 को कांफ्रेंस रुम-I, पहली मंजिल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 मैक्स मूलर मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित की गई । बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है ।

अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित मदों पर अपेक्षित कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्न : यथोक्त

(रमेशबाबू अणियेरी)
निदेशक (कार्यान्वयन)
फोन : 2462 3622

1. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य :
   भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं
   अध्यक्ष विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति ।
2. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क
3. राजभाषा विभाग के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव (रा.भा.-I) के निजी सचिव ।
3. संयुक्त सचिव (रा.भा.-II) के निजी सचिव ।
4. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
5. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, नई दिल्ली ।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सुश्री वीणा उपाध्याय, सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29 एवं 30.12.2010 में आयोजित 35वीं बैठक का कार्यवृत्त

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सुश्री वीणा उपाध्याय, सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29 एवं 30.12.2010 में 35वीं बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 मैक्स मूलर मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित की गई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची **अनुलग्नक 'क'** में दी गई है ।

2. सचिव, राजभाषा विभाग ने बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि आज सवा वर्ष से अधिक की अवधि पश्चात केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हो रही है | इस समिति की समीक्षा बैठक के आयोजन में और अधिक विलंब न हो, इस उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन वर्ष 2010 में ही करने का भरसक प्रयास किया गया है । इस बैठक के आयोजन की प्रतिक्रिया स्वरूप सहभागी मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त सकारात्मक रूख के लिए राजभाषा विभाग आभारी है । राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन कार्यपालिका के समस्त संगठनों और प्रतिष्ठानों के संवैधानिक दायित्वों के निष्पादन के लिए अनिवार्य है | प्रथम बार यह समीक्षा बैठक अधिक सार्थक संवाद और ठोस कार्यबिंदुओं के अभिज्ञान के लक्ष्य प्राप्ति हेतु दो दिन की अवधि में की जा रही है । 29 दिसंबर, 2010 एवं 30 दिसंबर, 2010 को क्रमश: 40 एवं 37 मंत्रालयों/विभागों को बैठक हेतु आमंत्रित किया गया है |

2.1 सचिव (राजभाषा) ने समस्त प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए निम्नांकित पक्षों की ओर ध्यान दिलाया:

(i) संघ की राजभाषा नीति का स्वरूप उदार है | यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है| यह सहिष्णुता-संपन्न, भाषा-निरपेक्ष तथा समावेशीय स्वरुपयुक्त नीति है | यह विभिन्न भाषाओं में सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व पर बल देती है | हिन्दी राष्ट्र की अन्तर्प्रान्तीय संपर्क भाषा है | राष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय विपन्न क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में इसका सर्वोपरि महत्व है । यह आवश्यक है कि राष्ट्र स्तर पर कार्यपालिका में हिंदी को अब तक जितना स्थान दिया गया है, उससे अधिक स्थान दिया जाए । इस दिशा में हम छोटी-छोटी बातों से पहल करें जैसे सरल, सहज तथा भले ही अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के शब्दों से मिश्रित हिन्दी का प्रयोग करें; फाइलों पर ऐसी भाषा में टिप्पणियां लिखें; प्रत्याशित अर्थात् 'एक्सपेक्टेड' प्रकृति के पत्राचार के उत्तरालेखों का मानकीकरण यथा 'स्टेन्डर्डडाइजेशन' करते हुए उनके हिन्दी के आलेख वेबसाइट पर डाल दें ताकि सुविधानुसार स्टाफ उन्हें डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सके; हस्ताक्षर हिंदी में करें; तथा विभिन्न समीक्षा बैठकों के शुरु में कम से कम 10-15 मिनट सरल हिंदी में विचार-विमर्श करें ताकि हिन्दी के पक्ष में अधिक मैत्रीपूर्ण माहौल बन सके |

(ii) उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सचिव ने कहा कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार यह प्रशासनिक प्रधानों का दायित्व है कि वह राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाएं | उच्च अधिकारी हिंदी के कार्य में उदाहरण पेश करें ताकि अधीनस्थ कार्मिक प्रेरित हों

(iii) आज हो रही बैठक में एजेंडा के स्वरूप को उल्लेखनीय ढंग से संवर्धित और व्यापक किया गया है। इसमें समय-समय पर संसदीय राजभाषा समित की संस्तुतियों के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की समीक्षा, विभिन्न संगठनों द्वारा की गई उल्लेखनीय पहलों और अभिनव प्रयोगों की जानकारी, तथा हिन्दी भाषा, टंकण व अनुवाद में पंचवर्षीय प्रशिक्षण योजना पर विचार-विमर्श सम्मिलित हैं।

(iv) अप्रैल, 2011 में विभाग की माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक का आयोजन प्रस्तावित है जिसमें लिखित प्रस्तर में इंगित मदों पर भी विचार किया जाएगा। अत: समस्त विभागों से इन बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार एवं ठोस कार्रवाई निवेदित और अपेक्षित है।

(v) समस्त मंत्रालयों और विभागों से यह अनुरोध है कि वे उनके मंत्रालयों में कार्यरत हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों के लिए एक समग्र स्वरूप की 'चेक लिस्ट' बनाएं जिसमें विभाग तथा विभाग के अधीनस्थ व संबद्ध कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में राजभाषा के प्रयोग तथा उससे जुड़े समस्त संगत पक्षों की समीक्षा हो ।

(vi) वर्तमान में देश भर में 274 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (नराकास) गठित हैं | दक्षिण भारत में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अच्छा कार्य कर रही हैं | इनका व्यापीकरण, विस्तारीकरण करना है और इन्हें प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है | समस्त मंत्रालयों और विभागों से यह अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ और संबद्ध संगठनों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से उनके अधीनस्थ कार्यालयों को नराकास का सदस्य बनने, तथा कार्यालयों के मुखिया को नराकास की बैठकों में भाग लेने व अनुसरणात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने हेतु पत्र भेजें ।

(vii) कार्यपालिका का कर्तव्य है कि वह उसे संविधान और विधान द्वारा सौंपे गए दायित्वों से जनसाधारण को परिचित कराने के लक्ष्य से उनका प्रभावी और व्यापक प्रसार करे । राजभाषा विभाग भी इस दिशा में अपने प्रयासों को द्रुतगति प्रदान करने जा रहा है । सचिव ने उपस्थित मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से हिन्दी के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, आई.टी. टूल्स, शब्द भण्डार तथा हिन्दी भाषा पर महापुरूषों के उदगारों का समुचित प्रसार करवाने का अनुरोध किया। इस संबंध में एलईडी बोर्ड, टीवी पर टिकर्स तथा एफ एम रेडियो इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है।

(viii) राजभाषा विभाग द्वारा सी-डैक के सहयोग से विकसित आई.टी. टूल्स का परिचय कराते हुए सचिव ने कहा कि बदलते परिवेश के मुताबिक हमें इनका अधिक से अधिक प्रयोग करना है | यूनीकोड के प्रयोग से हिन्दी टंकण अत्यंत सहज और सरल हो जाता है |

3. तदुपरांत एजेंडा के **भाग- I** में अंकित मदों, यथा राजभाषा विभाग द्वारा अभिज्ञानित विचार-बिंदुओं के अनुरूप मदवार विचार-विमर्श के आधार पर निम्नवत निर्णय लिए गए :

मद संख्या 35.1

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 34वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि |

34वीं बैठक का कार्यवृत्त पहले ही परिचालित किया जा चुका है और उक्त कार्यवृत्त के संबंध में कोई आपत्ति/टिप्पणी प्राप्त न होने के कारण बैठक में इसकी पुष्टि की गई ।

मद संख्या 35.2

34वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही ।

34वीं बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर उप-मदवार स्थिति निम्नवत पायी गई:

उप मद सं. 34.1 : वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां |

एजेंडा में दिए गए विश्लेषण के अनुसार 10 विभागों ने 80 प्रतिशत या उससे अधिक का उपलब्धि स्तर प्राप्त किया था । इनमें शीर्ष स्थान खान मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, संसदीय कार्य मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड के थे । निम्नतम उपलब्धि स्तर यथा 45 प्रतिशत से कम की उपलब्धि के 10 मंत्रालयों में योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, बायोटेक्नोलॉजी तथा उच्चतर शिक्षा विभाग थे । इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में श्रेष्ठ उपलब्धिकर्ताओं से उनके द्वारा अपनायी गई रणनीति का विवरण पूछा गया । खान मंत्रालय ने सूचित किया कि उनके मंत्रालय द्वारा अधिकांश पत्रों में हिन्दी के मानकीकृत आदेश कर दिए गए हैं जिससे हिन्दी के प्रयोग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । अन्य श्रेष्ठ उपलब्धिकर्ताओं ने अच्छी स्थिति का श्रेय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग को दिया ।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया कि वे उल्लिखित 'बेस्ट प्रेक्टिसेस' को अपनाएं और हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करें।

(कार्रवाई : समस्त मंत्रालय/विभाग)

<u>उप-मद सं. 34.2</u>

केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिंदी पदों के मानकों के पुन: निर्धारण पर विचार |

उक्त मुददे पर बैठक में गहन विचार-विमर्श किया गया | बैठक में ही सूचित किया गया कि न्यूनतम हिंदी पदों के सृजन के लिए राजभाषा विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों में अभी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है | इस बारे में मंत्रालयों/विभागों के सुविचारित सुझावों का स्वागत है |

इस मद के अन्तर्गत उपस्थित अधिकारियों ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आग्रह किया । इस संबंध में निम्नांकित स्थिति उभरकर आयी :

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	रिक्त पद का विवरण और संख्या
1.	कोरपोरेट अफेअर्स	1 संयुक्त निदेशक, 1 उप निदेशक
2.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1 उप निदेशक
3.	फार्मास्युटिकल्स	2 कनिष्ठ अनुवादक
4.	उर्वरक	1 उप निदेशक (विभाग में संयुक्त निदेशक के पद की आवश्यकता बताई गई)
5.	कोयला	?
6.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	1 वरिष्ठ अनुवादक और 1 कनिष्ठ अनुवादक

सूचित किया गया कि वर्तमान में मैचिंग सेविंग्स दिए जाने पर ही राजभाषा के पदों के सृजन की अनुमति दी जाती है । यह भी जानकारी में आया कि अनेक प्रकरणों में पदोन्नति के उपरांत अधिकारियों को पदस्थ किए जाने पर उनके द्वारा तैनाती के स्थान पर रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि वे पहले से ही अपने वर्तमान संवर्ग में ए.सी.पी. का लाभ पा चुके होते हैं । अतः पूर्व में ही वित्तीय लाभ की प्राप्ति के कारण वे स्थानांतरण आदेशों का अनुपालन करने में चूकते हैं ।

निर्णय लिया गया कि ऐसे समस्त प्रकरणों में डीओपीटी के नियमों के अन्तर्गत एसीपी का लाभ वापिस लेने की कार्रवाई की जाए । संयुक्त सचिव (सेवा) व उनके अधीनस्थ अधिकारी ऐसे प्रकरणों को पत्रावली पर प्रस्तुत करेंगे।

इसी मद पर चर्चा के दौरान कतिपय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों ने उनके द्वारा हिन्दी के सम्यक प्रयोगार्थ उठाए गए अभिनव और पहलात्मक कदमों का विवरण दिया तथा अच्छे सुझाव भी प्रस्तुत किए जो निम्नवत हैं:

(i) **डॉ बी. पी. नीलरत्न, संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागेों में मैचिंग सेविग की अनिवार्यता के बिना हिंदी के पदों के सृजन हेतु यह आवश्यक है कि राजभाषा विभाग इस संबंध में सचिव, व्यय विभाग से अनुरोध करे।

(ख) अंग्रेजी पत्रों का अग्रेषण पत्र हिंदी में लिखकर हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है |

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हाल ही में अपने मंत्रालय में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्दों की शब्दावली बनाई है ।

(घ) चेक और पे स्लिप हिंदी में हैं |

(ड.) संपादक का कोई पद ना होते हुए भी मंत्रालय की एक पत्रिका के विभिन्न विशेषांक तैयार किए गए हैं जिसकी काफी सराहना मिली है |

(च) हिंदी की बैठकें और कार्यशालाएं नियमित रुप से होती हैं |

(छ) सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री हिन्दी के पत्रों के जवाब हिन्दी में भेजे जाने पर विशेष बल देते हैं ।

(ii) डॉ0 किरण शुक्ला, निदेशक (राजभाषा), संघ लोक सेवा आयोग

आयोग के अध्यक्ष और कई सदस्य बैठकों में समस्त वार्तालाप हिंदी में करते हैं और उनके सचिव भी हिंदी के प्रति सदा जागरुक हैं |

(iii) श्री पी. पी. मुरलीधरन, उप सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अपने मंत्रालय की सकारात्मक पहल का उल्लेख करते हुए उप सचिव ने कहा कि उनके संयुक्त सचिव जब तक पत्र का मसौदा हिंदी में नहीं होता, तब तक वह हस्ताक्षर नहीं करते| उनके सचिव एवं माननीय मंत्री जी भी हिंदी में ही कार्य करने को वरीयता देते हैं |

(iv) श्री आर. के. द्विवेदी, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम मंत्रालय

श्रम मंत्रालय में हिंदी के प्रति अच्छा माहौल है | मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं माननीय मंत्री महोदय फाइल पर हिंदी में नोटिंग करते हैं और हिंदी में ही कार्य करते हैं |

(V) श्री आर. पी. चोपड़ा, उप निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय

मंत्रिमंडल सचिवालय में आयोजित बैठकों की संख्या, उनके बीच अति लघु अंतराल, तथा विषय-वस्तु की अत्यधिक गोपनीयता के दृष्टिगत बैठकों के कार्यवृत्त हिंदी में जारी करने में अत्यधिक व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । प्रशासन का अधिकाधिक काम हिंदी में करने का प्रयास किया जाता है |

(vi) श्री नोगश सिंह, योजना आयोग के सलहाकार, योजना आयोग

आयोग में हिंदी कार्यों की प्रतिशतता में क्रमश: वृद्धि हो रही है | लेखा अनुभाग में सारा कार्य हिंदी में होता है | यह हर्ष का विषय है कि योजना आयोग में दक्षिण भारत के रहने वाले अधिकारी और कर्मी हिन्दी में अपेक्षाकृत अच्छा कार्य कर रहे हैं ।

<u>मद सं. 34.3</u>

तिमाही प्रगति रिपोर्ट में आंकड़े ठीक प्रकार से भरना |

तिमाही प्रगति रिपोर्टों में अपेक्षित मनोयोग से प्रगति के आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं | यही नहीं, अनेक प्रासंगिक कॉलम अपूर्ण/रिक्त छोड़े जाते हैं | ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा चलाई जा रही पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाओं में डिफाल्टर कार्यालयों आदि को लाभ नहीं मिल पाता है | इस ओर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है |

<u>मद सं. 34.4</u>

वेबसाइट हिंदी में भी तैयार करना और उसे अद्यतन रखना |

अधिकांश मंत्रालयों/विभाग द्वारा सूचित किया गया कि उनके तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों व संगठनों के वेबसाइट द्विभाषी हैं । उन्हें अद्यतित रखने का भी प्रयास किया जा रहा है । फिर भी इस क्षेत्र में अभी काफी कार्य शेष है । ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जहां हिन्दी का वेबसाइट काफी हद तक अपूर्ण है और उस पर दी गई सामग्री अंग्रेजी के वेबसाइट के सापेक्ष अपर्याप्त है । इस संबंध में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना को संज्ञान में लिया गया । विचार-विमर्श के आधार पर निम्नांकित बिंदुओं पर मत स्थितर हुआ :

(क) विदेश कार्य मंत्रालय द्वारा यह कार्य आउट सोर्सिंग के आधार पर कराया जा रहा है और उनका इस संबंध में अच्छा अनुभव रहा है । अत: वेबसाइट के कार्य को, जिसमें निरंतर तौर पर और प्रचुर मात्रा में सामग्री का अनुवाद व अद्यतनीकरण निहित रहता है, को प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से संविदा के आधार पर वाह्य एजेंसी से कराया जा सकता है । यह व्यवस्था ऐसे विशाल मंत्रालयों जैसे स्वास्थय और परिवार कल्याण विभाग के लिए विशेष हितकर होगी । सुश्री धृतरी पाण्डा, संयुक्त सचिव, स्वास्थय मंत्रालय ने कहा कि उनके वेबसाइट ढाई लाख पृष्ठों की है जिनमें से केवल 20-25 हजार पृष्ठ ही द्विभाषी करवा पाए हैं | स्पष्टतया इस पैमाने का कार्य नियमित स्टॉफ द्वारा करना संभव नहीं होगा।

(ख) सक्षम सेवा-निवृत्त अधिकारियों व विश्वविद्यालयों व महाविद्यलयों के सेवा-निवृत्त समर्थ अध्यापकों के पैनल बनाकर उनसे भी यह कार्य पारिश्रमिक के आधार पर

कराया जा सकता है । पारिश्रमिक की दरें संबंधित मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार से स्वीकृत करायी जा सकती हैं ।

(ग) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपर/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में वेबसाइट के सम्पादकीय मंडल का गठन कर वेबसाइट की सामग्री की गुणात्मकता की पाक्षिक समीक्षा करने की व्यवस्था करे ।

राजभाषा विभाग में ऐसी व्यवस्था स्थापित की है जिसका सदपरिणाम स्पष्ट गोचर हो रहा है ।

कार्रवाई : समस्त मंत्रालय/विभाग

<u>मद सं. 34.5</u>

मंत्रालय/विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कायार्लयों का निरीक्षण किया जाना और संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए नवीनतम आदेशों की जानकारी देना|

मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए नवीनतम आदेशों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है तथापि, आदेशों/अनुदेशों की जानकारी के संबंध में कार्यालयों आदि से सीधे ही राजभाषा विभाग से जानकारी प्राप्त की जाती है जिससे स्पष्ट है कि मंत्रालय/विभाग नियमित रुप से जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं |

समस्त प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि वे राजभाषा विभाग से प्राप्त निर्देशों की प्रतियों तथा अपने स्तर से भी समुचित निर्देशों का समयबद्ध प्रेषण तथा अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

कार्रवाई : समस्त मंत्रालय/विभाग

<u>मद सं. 34.6</u>

कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग के लिए यूनिकोड एनकोडिंग का प्रयोग |

मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी कंप्यूटर यूनिकोड एनकोडिंग कराने तथा की बोर्ड द्विभाषी करने के लिए कारगार तरीके से कार्रवाई किए जाने के लिए बैठक में अनुरोध किया गया | राजभाषा विभाग और इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में प्राप्त तिमाही रिपोर्टों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उक्त बाबत अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है | भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा सभी कंप्यूटर यूनिकोड एनकोडिंग कराने तथा की बोर्ड द्विभाषी करने के लिए ठोस कार्रवाई की जानी अपेक्षित है | कार्यालयों में प्रयोग किए जा रहे अधिकांश नवीन कंप्यूटर यूनिकोड एनकोडिंग में हिंदी, अंग्रेजी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में कार्य करने की सुविधा युक्त हैं । नान-यूनीकोड सिस्टम को यूनीकोड सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए केवल कन्वर्टर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता

है जो वेबसाइट पर नि:शुल्क उपलब्ध है । वर्तमान में पेज मेकर सॉफ्टवेयर में यूनीकोड की व्यवस्था नहीं है ।

सचिव ने समस्त प्रतिनिधियों से अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों के कम्प्यूटरों पर यूनीकोड प्रणाली के प्रयोग का आह्वान किया । इस संबंध में मंत्रालयों से संबद्ध एनआईसी के तकनीकी अधिकारियों से सक्रिय सहयोग लिया जाए ।

इस विषय पर सचिव, राजभाषा, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी तथा महानिदेशक, एनआईसी को उनके स्तर से समुचित निर्देश जारी करने का अनुरोध करेंगी ।

कार्रवाई : समस्त मंत्रालय/विभाग तथा राजभाषा विभाग

<u>मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मदें</u>

<u>मद सं. 34.7(i)</u>

हिंदी भाषा/टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षण के बाद मिलने वाले नकद पुरस्कारों की राशि बढ़ाई जाए तथा कंप्यूटर पर हिंदी कार्य संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि आरंभ की जाए ।

<u>मद सं. 34.7(ii)</u>

हिंदी में टिप्पण/मसौदा लेखन और डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करना|

उक्त प्रकरणों में आंतरिक वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय (अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (गृह) ने दिनांक 24.08.10 के आदेश सं.66533 के द्वारा कुछ बिंदुओं पर अतिरिक्त सूचना मांगी थी जो उपलब्ध करा दी गई है । मंत्रालयों/विभागों को यथासमय तदनुसार सूचित किया जाएगा |

<u>मद सं. 34.7(iii)</u>

अंग्रेजी से हिंदी एवं विलोम अनुवाद की दरें फिलहाल काफी कम और अनाकर्षक हैं| इसे 200/- रु. प्रति हजार शब्द किया जाए|

राजभाषा विभाग के दिनांक 21 जुलाई, 2010 के का.ज्ञा. सं. 13017/1/2010-रा.भा.(नी.स.) द्वारा अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में सामान्य प्रकार की सामग्री एवं तकनीकी स्वरुप के अनुवाद कार्य के लिए क्रमश: 95/- रुपए, 100/-रुपए प्रति हजार शब्द कर दिए गए हैं | इन दरों में आगे और वृद्धि करने व गैर-सरकारी अनुवादकों के लिए अधिकतम राशि की सीमा के शिथिलीकरण का मामला पुन: आंतरिक वित्त को संदर्भित किया जा रहा है | मंत्रालयों/विभागों को यथासमय सूचित किया जाएगा |

मद सं. 34.7(iv)

हिंदी कार्यशालाओं में व्याख्याताओं के लिए व्याख्यान हेतु निर्धारित राशि को बढ़ा कर दोगुना किया जाए|

उक्त मामला अभी आन्तरिक वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय में विचाराधीन है | इस संबंध में 05 अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं तथा दिनांक 10.11.2010 को संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की ओर से पुन: अनुस्मारक भेजा गया है | यह मामला आंतरिक वित्त प्रभाग ने दिनांक 12.11.2010 को संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आगे कार्रवाई हेतु भेजा है | मंत्रालयों/विभागों को यथासमय सूचित किया जाएगा |

मद सं. 34.7(v)

हिंदी पदों के सृजन/भरे जाने पर अनिवार्य प्रतिबंध से छूट दी जाए तथा सांविधानिक दायित्वों के अनुरुप इन्हें कटौती से मुक्त रखा जाए |

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 09.04.2009 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं.2/8/2001-पी.आई.सी द्वारा सीधी भर्ती के समस्त पदों को भरने में छूट प्रदान की है | उक्त ज्ञापन के प्राविधान हिन्दी राजभाषा के पदों के मैचिंग-सेविंग के बिना सृजन तथा उनके निर्धारित अवधि तक रिक्त रहने की दशा में स्वयंमेव समाप्ति से सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है । अत: इन प्राविधानों का गहन परीक्षण कर व्यय विभाग को उनके विचरार्थ पुन: प्रस्ताव भेजना होगा ।

कार्रवाई : राजभाषा विभाग

मद सं. 34.9

राजभाषा विभाग कर्मचारी चयन आयोग से कहे कि वह कनिष्ठ अनुवादकों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में चयनित कनिष्ठ अनुवादकों के अलावा अन्य उम्मीदवारों में से 50 या 100 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करे | इस पैनल की अवधि 2 वर्ष रखी जाए | इस पैनल में से ऐसे मंत्रालयों/विभागों आदि को कनिष्ठ अनुवादक उपलब्ध कराए जा सकते हैं जिनके यहां से अनुवादक नौकरी छोड कर चले गए हैं या पदोन्नति पर अन्य विभागों में चले गए हैं |

कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के 70 डोजियर कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त हुए हैं और इन्हें तैनाती हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया है | वर्ष 2010 के लिए 46 कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों की रिक्तियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को सूचित किया गया था और कर्मचारी चयन आयोग ने दिनांक 28.11.2010 को कनिष्ठ हिंदी अनुवाद की परीक्षा भी आयोजित कर ली है| कर्मचारी चयन आयोग से कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के डोजियर प्राप्त होने के उपरांत उन्हें मंत्रालयों/विभागों को तैनाती हेतु भेज दिया जाएगा |

<u>मद सं. 34.10(i)</u>

अंशकालिक प्राध्यापकों को मानदेय की दरों में वृद्धि ।

उक्त मामला आन्तरिक वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय को दिनांक 12.07.10 को भेजा गया है और आंतरिक वित्त प्रभाग ने उसे दिनांक 12.11.2010 को संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आगे कार्रवाई हेतु भेजा है । मंत्रालयों/विभागों को यथासमय सूचित किया जाएगा ।

<u>मद सं. 34.10(ii)</u>

हिंदी तकनीकी संगोष्ठियों में वक्ताओं को मानदेय ।

उक्त मामला दिनांक 12.07.10 को आन्तरिक वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय को भेजा गया है और आंतरिक वित्त प्रभाग ने उसे दिनांक 12.11.2010 को संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आगे कार्रवाई हेतु भेजा है । निर्णय से मंत्रालयों/विभागों को यथासमय सूचित किया जाएगा ।

<u>मद सं. 34.10(iii)</u>

'ग' क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत जिन कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य नहीं करना होता, हिंदी भाषा प्रशिक्षण से छूट प्रदान करना ।

बैठक में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति के आदेशानुसार वर्ग 'घ' कर्मचारियों को छोड़कर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है । अत: मंत्रालय द्वारा सुझाए गए पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को केवल कार्यशाला के माध्यम से हिंदी बोल चाल का सामान्य प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित नहीं माना जा सकता ।

<u>मद सं. 34.11</u>

समयबद्ध अनुवाद कार्य हेतु राजभाषा विभाग द्वारा कुछ एजेंसियों का पैनल बनाया जाए एवं अनुमोदित किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे सीधा संपर्क करके शीघ्र कार्य का निपटान किया जा सके । इसकी सूचना भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए ।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली में अनुवाद कार्य से संबंधित 26 व्यक्तियों का एक पैनल बना हुआ है । इस संबंध में मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि ब्यूरो से सम्पर्क कर सकते हैं । दिनांक 11 नवंबर, 2010 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने इस पैनल को अद्यतन करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है । पैनल अद्यतित होने के उपरांत उसे सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रचालित किया जाएगा ।

<u>मद सं. 35.3</u>

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा संघ की राजभाषा नीति के लिए किए जा रहे अभिनव प्रयोगों/उल्लेखनीय पहलों की जानकारी उपलब्ध कराना |

भारत सरकार के कतिपय मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों व बैंकों द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी के प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार के अभिनव प्रोत्साहन दिए जाते हैं |

2. इस संबंध में निम्नांकित संगठनों के उल्लेखनीय पहलात्मक कदमों की राजभाषा विभाग को सूचना प्राप्त हुई है :-

(क) बैंक ऑफ बड़ौदा – बैंक ऑफ बड़ोदा में 'बड़ोदा मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना' नामक एक अभिनव पुरस्कार योजना है जिसके अंतर्गत देश के 41 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है | इन 41 विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष एम.ए.(हिंदी) में उच्चतम अंक मिलने वाले विद्यार्थी को 5000/- रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है |

(ख) हडको, तिरुवनंतपुरम – इस संस्था में हिंदी में नोटिंग करने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रति तिमाही 760/- रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है |

(ग) एचएलएल लाइफकेयर लि. तिरुवतंतपुरम – इसके अंतर्गत कार्यरत पांच यूनिटों में प्रत्येक में 10 प्रथम, 10 द्वितीय एवं 10 तृतीय पुरस्कार का प्रावधान है | इस तरह कुल 150 पुरस्कार हैं | प्रत्येक पुरस्कार के रुप में 1000/- रुपए की राशि दी जाती है |

(घ) एनटीपीसी द्वारा प्रत्येक तीन महिने में हिंदी में 7500 शब्द लिखने पर एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि प्रदान की जाती है | इसी प्रकार से उच्चतर अधिकारियों के लिए प्रत्येक तिमाही में 5000 हजार शब्द हिंदी में लिखने के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि दी जाती है | इसके अलावा हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रुप में क्रमश: 1200/-, 1100/- और 1000/- रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं | मौलिक पुस्तक लेखन के लिए भी 60000/-, 40000/- एवं 25000/- हजार रुपए के नकर पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं |

(च) सेल द्वारा अपने उन अधिकारियों के लिए जो प्रति माह 30% से अधिक काम हिंदी में करते हैं उन्हें संशोधन पूर्व वेतनमानों के हिसाब से एक माह की वेतन वृद्धि के बराबर की राशि प्रदान की जाती है | इसके अलावा हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रुप में क्रमश: 2000/, 1500/- और 1000/- के नकद पुरस्कार भी दिए जाते हैं |

इसके अतिरिक्त एसएसएलसी में हिंदी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले स्टाफ सदस्य के बच्चों को 1000/- रुपए की पुरस्कार राशि की भी योजना है |

सचिव, राजभाषा महोदया ने बैठक में उपस्थित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों से यह जानना चाहा कि क्या उनके कार्यालय में कोई पहल की गई है जिससे हिंदी को प्रोत्साहन मिले | प्रतिक्रिया स्वरूप मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्नांकित जानकारी दी गई:

(क) वस्त्र मंत्रालय के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री विनोद कुमार ने बताया कि उनके मंत्रालय द्वारा हिंदी समारोह में 5100, 3100 तथा 2100 रु. के पुरस्कार दिए जाते हैं | उनके अधीनस्थ कार्यालयों को भी निदेश दिया गया है कि वे इसी प्रकार प्रोत्साहन राशि बढ़ाएं |

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके कार्यालय में राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा अनुभागों के लिए 14000 रु. के पुरस्कार की योजना है|

(ग) रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहां पुस्तकों पर पुरस्कार 1.2 लाख का दिया जाता है | इसके अलावा 50000, 25000 एवं 10000 के साथ-साथ 5-5 हजार के तीन सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाते हैं | क, ख और ग क्षेत्रों की पत्रिकाओं को भी अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं |

(घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा रूपए 50, 40 व 30 हजार के क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार उत्कृष्ट पुस्तक लेखन के लिए दिए जाते हैं ।

(ड.) गैर-पारस्परिक ऊर्जा विभाग भी प्रतियोगिताओं के आधार पर 50, 30 व 20 हजार रूपए के पुरस्कार की राशि क्रमश: देता है ।

(च) कृषि अनुसंधान विभाग सुविचारित रूप से अभिज्ञानित हिन्दी की अनुसंधान पत्रिकाओं में प्रकाशित को लेखों को नकद पुरस्कार देता है व कार्य मूल्यांकन में भी इस तथ्य के लिए उपयुक्त श्रेय देता है ।

(छ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उत्कृष्ट तकनीकी लेखन को रूपए डेढ लाख का पुरस्कार दिया जाता है।

इन संगठनों में प्रचलित प्रोत्साहन वृद्धि की योजनाओं की सूचना के प्रसार का गुणात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है |

बैठक में उपस्थित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अधीनस्थ उपक्रमों व अधिष्ठानों में इनका व्यापाक प्रचार-प्रसार करें ताकि इसी प्रकार की अभिनव प्रोत्साहन योजनाओं के दृष्टांतों से उन्हें भी आगे की कार्रवाई हेतु मार्गदर्शन मिले | यह भी आवश्यक है कि प्रतियोगिताओं पर आधारित, तथा कार्य उपलब्धि पर आधारित पुरस्कारों की संख्या में स्वस्थ संतुलन बनाया जाए ।

कार्रवाई : मंत्रालय/विभाग

<u>मद सं. 35.4</u>

संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों पर मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई का विवरण उपलब्ध करवाना |

संसदीय राजभाषा समिति ने अब तक आठ प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं जिन पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं जो निम्नवत हैं :

क्र.सं.	**खण्ड सं.**	**आदेश सं.**
1.	प्रथम खण्ड	I/20012/1/87-रा.भा./क-1 दिनांक 30.12.1988
2.	द्वितीय खण्ड	12015/34/87-रा.भा./त.क. दिनांक 29.03.1990
3.	तृतीय खण्ड	13015/1/91-रा.भा./घ दिनांक 04.11.1991
4.	चतुर्थ खण्ड	12019/10/91-रा.भा./भा दिनांक 28.01.92
5.	पंचम खण्ड	I/20012/4/92-रा.भा./नी-1 दिनांक 24.11.98
6.	छठा खण्ड	12012/2/2003-रा.भा./का-2 17.09.04
7.	सातवां खण्ड	11011/5/2003-रा.भा./अनु. दिनांक 13.07.05
8.	आठवां खण्ड	I/20012/7/2005-रा.भा./नीति-1 दिनांक 02.07.08

सचिव, राजभाषा विभाग ने बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को सूचित किया कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति की आगामी बैठक शीघ्र आयोजित किया जाना प्रस्तावित है | उक्त बैठक में हमें संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर जारी आदेशों पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करना है | उन्होंने कार्यसूची के अनुबंध-I, जो कार्यवृत्त के अनुबंध-I में संलग्न है, पर मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों से बिंदुवार अद्यतन स्थिति से अवगत कराने को कहा। जो विभागवार स्थिति प्रस्तुत हुई, वह निम्नवत रही:

(i) **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

श्री नरेश कुमार, निदेशक (राजभाषा), उच्चतर शिक्षा विभाग ने सूचित किया कि कार्यसूची के अनुबंध-I के **क्रम संख्या 1 पर त्रिभाषा सूत्र के संबंध में** स्थिति इस प्रकार है कि देश में स्थित 600 नवोदय विद्यालयों में इसे कार्यान्वित कर दिया गया है। केन्द्रीय

विद्यालय संगठन के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श चल रहा है। सी.बी.एस.ई. ने इस बिंदु पर अभी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है । अनुबंध-I के क्रम संख्या 3, जो अहिन्दी भाषी संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षण के स्तर में सुधार के बारे में है, के संबंध में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा से अद्यतन प्रास्थिति ज्ञात कर बताया जाएगा । शेष 6 बिंदुओं पर प्रतिनिधि से अवगत कराने में असमर्थ थे ।

मानव संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि वह अनुबंध-I पर अपने मंत्रालय के सक्षम स्तर से निर्णय प्राप्त कर स्थिति से यथा शीघ्र अवगत कराएं । निकट भविष्य में माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की निर्धारित बैठक के दृष्टिगत यह आवश्यक होगा कि इन बिंदुओं पर मंत्रालय की संबंधित संयुक्त सचिव सुश्री अनिता भटनागर जैन तथा वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, केन्द्रीय निदेशालय के निदेशक तथा भारतीय भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान, मैसूर के निदेशक भी अद्यतन स्थिति व प्रस्तावित कार्ययोजना सहित सचिव, राजभाषा विभाग से शीघ्र विचार-विमर्शकरें ।

(कार्रवाई – संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

(ii) **सूचना व प्रसारण मंत्रालय**

सुश्री प्रियम्बदा, निदेशक (राजभाषा) ने सूचित किया कि दूरदर्शन द्वारा 'चले आओ चक्रधर चमन में' नामक कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है | सचिव, राजभाषा विभाग ने प्रतिनिधि से अनुबंध-I के क्रम संख्या 9 से 12 पर उनके मंत्रालय द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों पर स्वतः-स्पष्ट टिप्पणी राजभाषा विभाग को भेजने को कहा ।

(iii) वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अनुबंध-I, क्रम संख्या 13 के बाबत बताया कि बैंकों में ओरेकल, आईफलैक्स के प्रोग्राम इस्तेमाल हो रहे हैं और उसमें हिंदी में काम नहीं हो रहा है। सचिव महोदया ने निदेश दिए कि वित्तीय सेवाएं विभाग इन मुददों को सर्वोपरि रखें और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं |

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अनुबंध-I, क्रम संख्या 14, जो बीमा कंपनियों की बीमा पॉलिसियों के द्विभाषी होने के संबंध में है, के बारे में कहा कि यह मुददा विचाराधीन है | जैसे ही कोई फैसला लिया जाएगा विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा |

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि को इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया ।

(iv) **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग**

इस विभाग का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था । इस बीच सचिव, राजभाषा विभाग ने सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सेवा में प्रवेश कालीन हि प्रशिक्षण के दौरान हिन्दी भाषा और टंकण के प्रशिक्षण का अनुरोध किया है।

(v) **वाणिज्य विभाग**

अनुबंध के क्रम संख्या 17 पर वाणिज्य विभाग से सुस्पष्ट स्थित ज्ञात करनी होगी।

(vi) **सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

इस विभाग से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे । इस विभाग के सचिव को पृथक से पत्र लिखते हुए अद्यवदिक स्थिति ज्ञात करनी होगी।

(vii) दूर संचार विभाग

उपस्थित प्रतिनिधि ने सूचित किया कि एम.टी.एन.एल. तथा बी.एस.एन.एल. द्वारा द्विभाषीय स्वरूप में ही बिलों को जारी किया जा रहा है ।

(viii) **शहरी विकास मंत्रालय**

अनुबंध-I के क्रम संख्या 22, जो सरकारी प्रकाशनों की समयबद्धता तथा बिक्री केन्द्रों की संख्या में वृद्धि के संबंध में है, पर मंत्रालय से स्वतः-सम्पूर्ण टिप्पणी प्राप्त करनी होगी ।

(ix) **विधि एवं न्याय मंत्रालय**

अनुबंध-I के क्रम संख्या 23 व 24, जो हिन्दी में विधायी प्रारूपण के प्रशिक्षण, तथा इसी क्रम में प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में है, पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बतलाया कि मंत्रालय द्वारा हिन्दी में मूल प्रारूपण पर बल दिया जा रहा है। हिन्दी में विधायी प्रारूपण हेतु प्रशिक्षण संस्थान की दिशा में भी सकारात्मक निर्णय ले लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा उल्लिखित सकारात्मक घटनाक्रम पर संतोष व्यक्त करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि से इस संबंध में लिखित तथ्यात्मक आख्या भेजने का अनुरोध किया गया ।

(x) **रेलवे बोर्ड**

अनुबंध-I के क्रम संख्या 25 पर लिखित आख्या द्वारा अवगत कराया जाए ।

(xi) **विदेश मंत्रालय**

श्री मनीष चौहान, निदेशक, विदेश मंत्रालय ने अनुबंध-I, क्रम संख्या 26, जो समस्त पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्टों में द्विभाषी प्रविष्टियों के बारे में है, के संबंध में सूचित किया कि पासपोर्ट कार्यालय में सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवा दिए गए हैं | लगभग सभी कार्यालयों द्वारा इस कार्य को आईटी सॉफ्टवेयर कन्सल्टेंसी को दिया गया है । सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि कन्सल्टेंसी फर्म से यह कार्य द्विभाषी रूप में कराया जाए । निदेशक, विदेश कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव से वार्ता कर स्थिति से अवगत कराने का आश्वासन दिया ।

सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा दूतावासों एवं विश्व हिंदी सचिवालय में हिंदी की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर श्री चौहान ने अवगत करवाया कि दूतावासों में हिंदी की किताबों की खरीद की जाती हैं; हिंदी पखवाड़े आयोजित किए जाते हैं; तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा भी हिंदी के कार्य को प्रोत्साहित किया जाता है और 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है |

(xii) **नागर विमानन मंत्रालय**

नागर विमानन मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया की अनुबंध-I, क्रम संख्या 27 के अनुसरण में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों पर सूचना प्रसारण हेतु लगाए गए डिजिटल बोर्डों में द्विभाषी रुप से सूचना प्रसारित की जा रही है | इस संबंध में सुस्पष्ट लिखित पुष्टिकरण भेजने को भी कहा गया है ।

(xiii) **कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अवर सचिव ने बताया कि अनुबंध-I, क्रम संख्या 28 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के नए पंजीकृत होने वाले सभी उपक्रमों/निगमों का नामकरण अनिवार्य रुप से हिंदी में किए जाने संबंधी मामला विचाराधीन है ।

इस विषय पर स्थिति से शीघ्र अवगत कराने को कहा गया है ।

इस मद पर विचार-विमर्श के अंत में सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिनकी सभी मदों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए | जिन मदों पर संबंधित कार्यालयों द्वारा अभी तक वांछित स्तर तक कार्रवाई नहीं की गई अथवा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उन बिंदुओं की ओर मंत्रालय/विभाग के सचिव का ध्यान दिलाते हुए अविलंब अनुवर्ती कार्रवाई

सुनिश्चित करें । माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निकट भविष्य में आयोजित केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक के आयोजन को देखते हुए इसे इन मदों पर सर्वोच्च प्राथमिकता पर निर्णय लें और राजभाषा विभाग को अवगत रखें ।

कार्रवाई – संबंधित मंत्रालय/विभाग

<u>मद सं. 35.5</u>

हिंदी भाषा, टंकण, आशुलिपि तथा अनुवाद प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाने की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना |

उपर्युक्त के संबंध में संघ सरकार के आदेश हैं कि केंद्र सरकार के उल्लिखित कार्मिक प्रासंगिक प्रशिक्षण 2015 तक अवश्य प्राप्त कर लें | भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/कार्यालयों/संगठनों से अनुरोध है कि वे अपने संगठन में कार्यरत कार्मिकों को चरणबद्ध रुप से उक्त प्रशिक्षण में नामित करें और आगामी पांच वर्षों की एक ठोस कार्ययोजना बनाएं । इस मद के एजेंडा नोट में राजभाषा विभाग के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उनकी अवधि का विस्तृत विवरण दिया गया है। आशुलिपि को छोड़ते हुए अन्य समस्त प्रशिक्षण पत्राचार के माध्यम से भी उपलब्ध हैं । सी.एच.टी.आई. के निदेशक ने सूचित किया कि उनके संस्थान द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सी.डी. भी शीघ्र जारी की जा रही है । इस पक्ष पर संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों में, तथा महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों में भी समय-समय पर अत्यधिक बल दिया गया है । सचिव (राजभाषा) ने कहा कि प्रत्येक मंत्रालय और विभाग प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण रोस्टर तैयार करे । उन्होंने बताया कि सेवा प्रवेश के समय राजभाषा/टंकण में प्रशिक्षण की अनिवार्यता के विषय पर उन्होंने सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भी हाल ही में पत्र लिखा है ।

इस पक्ष की गंभीर महत्ता को देखते हुए इस पर तिमाही और वार्षिक प्रगति आख्या में भी समुचित कॉलम जोड़े गए हैं ।

कार्रवाई – मंत्रालय/विभाग

<u>मद सं. 35.6</u>

कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के नए-नए ई-टूल्स और अन्य गतिविधियों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा सी-डैक से संपर्क करना और हिंदी अनुभागों में 'चैम्पियन' के तौर पर हिंदी एककों के कर्मियों का नामांकन करना |

उक्त विषय के संबंध में श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. ने विस्तार से राजभाषा विभाग द्वारा सी-डैक के माध्यम से लीला, श्रुतलेखन, मंत्रा, वाचांतर, प्रवाचक आदि सॉफ्टवेयर जो विकसित किए गए हैं, की जानकारी दी । 'मंत्रा' जो सहज अनुवाद हेतु मशीनी टूल है, को अधिकाधिक दोषरहित करने के लक्ष्य से सचिव (राजभाषा) ने 5 मंत्रालयों/विभागों यथा गृह, कार्मिक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रेलवे बोर्ड और ग्रामीण विकास को उनके मंत्रालयों/विभागों के हिंदी अनुभाग में तैनात किन्हीं ऐसे उप निदेशक/सहायक निदेशक(रा.भा.) को परीक्षक के रूप में, तथा वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवादकों में से अनुवादक के रूप में चैम्पियन के रूप में नामांकित करने का अनुरोध किया है । ऐसा करते हुए उन कर्मियों का चयन करने का अनुरोध किया गया है जिन्हें आईटी में रुचि और रुझान हो । इस कार्रवाई का लक्ष्य तकनीकी विशेषज्ञ और प्रयोक्ता में नियमित आदान-प्रदान और सामंजस्य सुनिश्चित करना है ताकि संबंधित आईटी टूल अधिकाधिक दोष मुक्त रूप से विकसित हों । तदुपरांत इस प्रणाली से अन्य मुख्य मंत्रालयों और विभागों को भी आच्छादित किया जाएगा ।

कार्रवाई – मंत्रालय/विभाग

<u>मद सं. 35.7</u>

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग विषयक तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संशोधित नए प्रोफार्मे पर सुझाव|

राजभाषा विभाग द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट के निर्धारित प्रोफार्मा को संवर्धित/परिवर्द्धित किया गया है जिससे कि मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/संगठनों द्वारा राजभाषा के प्रयोग और प्रसार की दिशा में उठाए गए सकारात्मक और अभिनव प्रयोगों का विवरण प्राप्त किया जा सके|

प्रपत्र में गुणात्मक एवं सकारात्मक सूचनाएं मांगी गई हैं | यह संशोधित प्रपत्र सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया गया है |

विचार-विमर्श के दौरान इस संबंध में कोई अतिरिक्त सुझाव प्राप्त नहीं हुआ । संशोधित और संवर्धित प्रोफार्मा का सामान्य तौर पर स्वागत किया गया ।

कार्रवाई – मंत्रालय/विभाग

<u>मद सं. 35.8</u>

मद सं. 35.8.1 मंत्रालयों/विभागों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां ।

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में बैठक में वर्ष **2009-10 (01 अप्रैल, 09 से 31 मार्च, 2010 तक)** की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई । मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध करवाए गए तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों का वृहद विश्लेषण किया गया । विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के एक इंगित स्तर तक के प्रतिशत जो 70 से 75 प्रतिशत के बीच रखा गया, को 'अच्छा', व 40 से 45 प्रतिशत के बीच के स्तर को 'असंतोषजनक' वर्गीकृत किया गया । ऐसा करने पर निम्नवत स्थिति प्रस्तुत हुई :

(i) पत्राचार के क्षेत्र व लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धि स्तर : अनुबंध-2

(ii) फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणी की स्थिति : अनुबंध-3

(iii) हिन्दी आशुलिपिकों व हिन्दी टंककों की उपलब्धता की स्थिति : अनुबंध-4

(iv) वेबसाइट की स्थिति : अनुबंध-5

(v) राजभाषा विषयक निरीक्षण : अनुबंध-7 (इस संबंध में स्थिति विशेषकर नकारात्मक है)

(vi) मंत्रालय/विभाग जहां 40 प्रतिशत से कम कर्मी केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से प्रशिक्षित है: अनुबंध-8 । इस संबंध कुछ प्रतिभागियों ने केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशिक्षण एकक के गुणात्मक पक्ष में सुधार और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया।

संयुक्त सचिव, विज्ञान और तकनीकी विभाग ने कहा कि प्रतिशत उपलब्धि के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पूर्ति किए गए लक्ष्यों की कुल संख्या की ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

कुछ विभागों जैसे महिला एंव बाल विकास, पंचायती राज, प्रवासी भारतीय, भूमि संसाधन में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता पायी गयी । महिला बाल विकास विभाग तथा भूमि संसाधन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा उनके विभागों में हिन्दी के आशुलिपिकों, तथा डेटा एंट्री ऑपरेटरों का अभाव, तथा पुराने कम्प्यूटरों के न बदले जाने की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई । सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को भेजे जाने वाले अर्द्धशासकीय पत्रों में इन समस्याओं का भी उल्लेख किया जाएगा ।

समग्र रूप से सभी पक्षों पर स्थिति में प्रचुर और ठोस सुधार की आवश्यकता है । राजभाषा के प्रभावी प्रयोग और प्रसार हेतु सुझाव देते हुए सचिव, राजभाषा विभाग की ओर से समस्त मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा संबोधित किया जाएगा ।

(कार्रवाई – समस्त मंत्रालय/विभाग एवं राजभाषा विभाग)

मद सं. 35.9

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग (मुख्यालय) एवं विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को नियमित रुप से भेजना |

अनेक मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा यह तिमाही रिपोर्ट काफी विलंब से भेजी जाती है अथवा भेजी ही नहीं जाती है । अधीनस्थ कार्यालयों आदि द्वारा भी इस विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को रिपोर्टें समय पर नहीं भेजी जाती हैं या फिर भेजी ही नहीं जाती हैं जो सरकारी आदेशों का उल्लंघन है |

इस स्थिति से निम्नदर्शित अत्यंत परिहार्य व न्यायानुचित स्थिति उत्पन्न होती है :-

(क) संवैधानिक व वैधानिक दायित्वों की अवहेलना होती है |

(ख) विभिन्न कार्यालयों/संगठनों आदि में हिंदी में काम करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर प्रोत्साहन स्वरुप विभिन्न श्रेणियों के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका आधार तिमाही प्रगति रिपोर्टें होती हैं | पर्याप्त संख्या में प्रतिस्पर्द्धा न होने के कारण इन पुरस्कारों का महत्व भी कम हो जाता है |

(ग) तिमाही रिपोर्ट न भेजे जाने से हिंदी भाषा, टंकण, आशुलिपि में प्रशिक्षण की वास्तविक आवश्यकता प्रस्तुत नहीं होती है एवं

(घ) अनुवाद कौशल में प्रशिक्षण की सही आवश्यकता भी विदित नहीं हो पाती है |

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय आदि यह सुनिश्चित करें कि उक्त रिपोर्टें राजभाषा विभाग मुख्यालय एवं विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को नियमित रुप से और समय से भेजी जाएं |

कार्रवाई – मंत्रालय/विभाग

मद सं. 35.10

सरकारी कामकाज में सरल एवं सुबोध हिंदी का प्रयोग एवं गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना |

सरकारी कामकाज में सरल एवं सुबोध हिंदी के प्रयोग के बारे में बैठक में गहनता एवं गंभीरता से चर्चा हुई | राजभाषा विभाग को क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों, केंद्रीय हिंदी समिति की बैठकों, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों आदि मंचों से यह सुझाव प्राप्त होते हैं कि सरकारी कामकाज में सरल एवं सुबोध हिंदी का प्रयोग किया जाए | अतः केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में प्रचलित एवं ग्राहय भाषा का इस्तेमाल किया जाए | प्रयोग किए जा रहे कठिन शब्दों के सरल और प्रचलित विकल्प इस्तेमाल करें | सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए |

(कार्रवाई – समस्त मंत्रालय/विभाग)

<u>मद सं. 35.11</u>

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग एवं उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं, सावर्जनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि में हिंदी पदों का सृजन एवं कैडर का निर्माण |

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के अधीनस्थ संगठनों आदि में हिंदी के पद/कैडर के अभाव के बारे में विभिन्न स्रोतों से राजभाषा विभाग में शिकायत प्राप्त होती है | अतः इस मुददे के बारे में समिति में गहन विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों और संगठनों आदि में कार्यरत हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्ग गठित करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही करें, ताकि राजभाषा से जुड़े कर्मियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें |

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्रों में मानक के हिसाब से उतने पद नहीं बनते हैं | उन्होंने अनुरोध किया कि प्रत्येक केंद्रों में कम से कम अनुवादक का पद बनाया जाए भले ही मानक पर खरा नहीं उतरते हों |

यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मंत्रालयों और विभागों के लिए निर्धारित तिमाही और वार्षिक प्रगति आख्या के प्रारूप में इस आशय का भी कालम जोड़ा जाए ताकि मंत्रालय/विभाग तथा उसके अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्त संगठनों में हिन्दी राजभाषा के प्रभागों/एककों में कर्मियों के पदोन्नति के न्यायसंगत अवसरों की सूचना प्राप्त हो सके ।

(कार्रवाई – समस्त मंत्रालय/विभाग)

<u>मद सं. 35.12</u>

विभिन्न हिंदी संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में हिंदी अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों को नामांकित करना |

इस संबंध में विस्तृत चर्चा के बाद यह तय किया गया कि विभिन्न हिंदी संगोष्ठियां/सेमिनार/सम्मेलन आदि में हिंदी अधिकारियों आदि को नामित किया जाता है| ऐसे समारोहों में हिंदी अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों को भी नामांकित किया जाना चाहिए ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें और राजभाषा नीति एवं कार्यान्यवयन में अपेक्षित सहयोग दे सकें| सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए |

(कार्रवाई – समस्त मंत्रालय/विभाग)

<u>मद सं. 35.13</u>

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति सुनिश्चित करना |

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों कार्यालयों को यह अवगत करवाया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों मे प्रायः सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों की उपस्थिति नहीं होती है |

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया कि वे अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/संगठनों आदि को यह निदेश जारी करें कि उनके वरिष्ठतम अधिकारी/कार्यालय प्रमुख (प्रशासनिक प्रधान) समिति की बैठकों में नियमित रुप से भाग लें और इस दायित्व का सच्चे मन से निर्वहन करें | संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और राजभाषा हिंदी को प्रचार-प्रसार तथा प्रयोग तृण-मूल (ग्रासरुट) स्तर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से ही प्रारंभ होता है | राजभाषा के प्रति निष्ठावान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के समूहों से ही राष्ट्र स्तर पर राजभाषा को अपेक्षित गरिमा व मर्यादा प्राप्त होगी |

(कार्रवाई – समस्त मंत्रालय/विभाग)

मद सं. 35.14

वार्षिक कार्यक्रम 2010-11 में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के सघन प्रयास |

राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी किए जाते हैं | इसी क्रम में इस वर्ष भी वार्षिक कार्यक्रम 2010-11 मंत्रालयों/विभागों को इस विभाग के पत्र सं.11011/7/09-रा.भा.(अनु) दिनांक 15.04.2010 के तहत भेजा जा चुका है| वार्षिक कार्यक्रम में कार्यालयों आदि को राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्टीकरण और विदेश स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि के निरीक्षण का लक्ष्य (4 से घटाकर 1 कर दिया गया है) के अलावा किसी अन्य मद के लक्ष्य में कोई परिवर्तन न करते हुए उन्हें यथावत रखा गया है | जहां तक नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्किरण का संबंध है, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अपने आठवें खंड में की गई सिफारिशों के संदर्भ में दिनांक 02 जुलाई, 2008 के संकल्प सं.I/20012/07/2005/रा.भा. नीति-1 द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के आदेश के अनुसार क क्षेत्र में 50%, ख क्षेत्र में 30% और ग क्षेत्र में 20% का लक्ष्य होना चाहिए | लेकिन इसमें माननीय गृह मंत्री जी के अनुमोदन से तीन वर्ष में क्रमिक वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है जो कार्यसूची की मद सं.35.8.8 में दिया गया है | वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल rajbhasha.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है | यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है | केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय/संगठन से इन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अपेक्षित है|

(कार्रवाई – समस्त मंत्रालय/विभाग)

मद सं. 35.15

केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा राजभाषा हिंदी में किये गये सराहनीय कार्य का उल्लेख |

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 2009-10 से वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का नाम तथा इसके प्रोफार्मा में परिवर्तन कर इसका नाम 'वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन' (APAR) कर दिया है | इस बदले हुए प्रोफार्मा के मददेनजर राजभाषा विभाग द्वारा अपने अ.शा. पत्र सं. I/14013/03/1999-रा.भा.(नीति-1) दिनांक 24 अगस्त, 2010 द्वारा केंद्र सरकार के सभी 'क', 'ख' एवं 'ग' वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों (अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित) द्वारा

राजभाषा हिंदी में किए गए उनके सराहनीय कार्य का उल्लेख उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के 'कलम तस्वीर' (Pen Picture) संबंधी कॉलम में प्रतिवेदन तथा पुनरावलोकन अधिकारी द्वारा करने के लिए आवश्यक निदेश जारी किया गया है |

सभी मंत्रालय/विभाग कृपया इन निदेशों का अपने मंत्रालय/विभाग तथा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में भी इसी अनुसार कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करवायें|

(कार्रवाई – समस्त मंत्रालय/विभाग)

<u>मद सं. 35.16</u>

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को नामित/कार्यमुक्त करना |

उपर्युक्त के संदर्भ में समिति को अवगत करवाया गया कि दिल्ली के बाहर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों (उपक्रमों, बैंकों सहित) में भी अभी बड़ी संख्या में ऐसे अनुवादक हैं जिन्हें अनिवार्य त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण दिया जाना शेष है | अनुवादकों तथा अनुवाद कार्य से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण को **<u>अनिवार्य</u>** कर दिए जाने के बावजूद कार्यालयों द्वारा प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों को त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित/कार्यमुक्त न करने से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को पर्याप्त प्रशिक्षणार्थी नहीं मिल पा रहे हैं | अत: सभी मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया गया कि वे अपने यहां त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण के लिए शेष अनुवादकों/कर्मचारियों को अनुवाद प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिए अनिवार्य रुप से नामित करें और अपने अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों को भी ऐसा करने का निर्देश दें |

शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस समय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा दिए जाने वाला अनुवाद प्रशिक्षण निम्नस्तर का है | इसमें सुधार की आवश्यकता है |

कार्रवाई – केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग

<u>मद सं. 35.17</u>

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/शब्द संसाधन और हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न सॉफटवेयरों की जानकारी देना |

विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों एवं बीमा कंपनियों में हिंदी भाषा, टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए इस समय काफी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी शेष हैं | वर्ष 2015 तक सभी को प्रशिक्षण दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया

गया है | इस परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आसान व त्वरित गति से चलाने के लिए राजभाषा विभाग के अधीन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सी-डैक के सहयोग से विभिन्न साफटवेयर यथा – लीला (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ), श्रुतलेखन, मंत्रा, वाचांतर , प्रवाचक विकसित करवाए गए हैं | चुंकि सभी अप्रशिक्षित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है इसलिए इन साफटवेयरों का भी प्रयोग करते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि में प्रशिक्षण के लिए शेष समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके उन्हें प्रशिक्षण के लिए नामित करना चाहिए |

(कार्रवाई – समस्त मंत्रालय/विभाग)

भाग-II

मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मदें

मद सं. 35.1.II

राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों के संवर्ग की पुनरीक्षा करना | (हिंदी अनुभाग, संघ लोक सेवा आयोग)

उक्त के संबंध में यह सूचित किया गया कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग पुनरीक्षा (Cadre review) का प्रस्ताव विचाराधीन है | माननीय गृह राज्य मंत्री के निदेश पर संवर्ग की व्यापक समीक्षा के लिए श्री दिनेश राय, सचिव (सेवानिवृत्त) भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है | समिति को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग की व्यापक समीक्षा कर विभिन्न ग्रेडों में अधिकारियों के कैरियर उन्नयन के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि के लिए उपचारात्मक सुझाव देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है | समिति की दो बैठकें आयोजित हो चुकी हैं | आगामी बैठक शीघ्र आयोजित की जानी प्रस्तावित है | मंत्रालयों/विभागों को यथासमय सूचित किया जाएगा |

कार्रवाई – सेवा अनुभाग, राजभाषा विभाग

मद सं. 35.2. II

विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी करना | (हिंदी अनुभाग, संघ लोक सेवा आयोग)

मद सं. 35.3. II

हिंदी टिप्पण/मसौदा लेखन और हिंदी डिक्टेशन की वार्षिक पुरस्कार योजना संबंधी नकद पुरस्कार की राशि कम से कम दोगुना की जाए | (हिंदी अनुभाग, दूर संचार विभाग)

उक्त मामले पर आंतरिक वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय (अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (गृह) ने दिनांक 24.08.10 के आदेश सं.66533 के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा है कि विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली पुरस्कारों की राशि में बढ़ोत्तरी करने से पूरे देश के समस्त केंद्र सरकार के कार्यलयों में औसतन कितने धनराशि का व्यय होने का अनुमान है| उक्त बाबत अनुमानित राशि के आकलन करके यह मामला पुनः आंतरिक वित्त प्रभाग को भेजे जाने की प्रक्रिया में है | मामले पर अंतिम निर्णय के पश्चात मंत्रालयों/विभागों को यथासमय सूचित किया जाएगा |

कार्रवाई – सेवा अनुभाग व प्रशिक्षण अनुभाग, राजभाषा विभाग

<u>मद सं. 35.4. II</u>

विभागीय हिंदी गृह पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं और हिंदी कार्यशालाओं में व्याख्याताओं को दिए जाने वाली मानदेय राशि में वृद्धि की जाए | (हिंदी अनुभाग, दूर संचार विभाग)

<u>मद सं. 35.8. II</u>

हिंदी कार्यशालाओं में व्याख्यान देने के लिए मानदेय की दर में वृद्धि | (हिंदी अनुभाग, रेल मंत्रालय)

उपर्युक्त मदों के संबंध में विस्तृत चर्चा के उपरांत बैठक में उपस्थित सदस्यों को यह अवगत करवाया गया कि हिंदी गृह पत्रिकाओं में रचनाओं को दिए जाने वाली मानदेय के संबंध में मंत्रालय/विभाग स्वयं नियमानुसार निर्णय ले सकते हैं | जहां तक हिंदी कार्यशालाओं में व्याख्याताओं को दिए जाने वाली मानदेय राशि में वृद्धि की जाने का सवाल है, प्रस्ताव आन्तरिक वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय में विचाराधीन है | इस संबंध में 05 अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं तथा दिनांक 10.11.2010 को संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की ओर से पुनः अनुस्मारक भेजा गया है| आंतरिक वित्त प्रभाग ने दिनांक 12.11.2010 को संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आगे की कार्रवाई हेतु भेजा है | मामले पर अंतिम निर्णय के पश्चात मंत्रालयों/विभागों को यथासमय सूचित किया जाएगा |

कार्रवाई – प्रशिक्षण अनुभाग, राजभाषा विभाग

<u>मद सं. 35.5. II</u>

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आठवें खण्ड में विज्ञापनों पर खर्च के विषय में सिफारिश सं.70 – विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिंदी पर खर्च किया जाए| (संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग)

उपर्युक्त मद के संबंध में बैठक में गहन चर्चा हुई और समिति के सदस्यों को यह अवगत करवाया गया कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के आठवें खंड में यह सिफारिश की थी कि विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50% हिंदी पर खर्च किया जाए और 50% अंग्रेजी एवं

प्रातीय भाषाओं पर किया जाए | इस संबंध में इस संशोधन के साथ राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किया गया है कि सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें | तदनुसार इसका अनुपालन किया जाना चाहिए |

कार्रवाई – संबंधित मंत्रालय/विभाग

<u>मद सं. 35.6. II</u>

अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में राजभाषा हिंदी में सराहनीय/उत्कृष्ट कार्य करने या उसके प्रति उदासीनता प्रकट करने या राजभाषा नीति अनुकूल न करने के संबंध में कॉलम का समावेश करना | (विधायी विभाग)

इस मद के संबंध में बैठक में विस्तृत रुप से चर्चा हुई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय सरकार के ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में किए गए सराहनीय कार्य का उल्लेख उनकी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के ‘Pen Picture’ संबंधी कॉलम में किए जा सकते हैं | राजभाषा हिंदी के प्रति उदासीनता एवं राजभाषा नीति के अनुकूल कार्य न करने के संबंध में यह कहना है कि संघ की राजभाषा नीति, प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना पर आधारित है|

कार्रवाई – मंत्रालय/विभाग

<u>मद सं. 35.7. II</u>

अंशकालिक प्राध्यापकों के मानदेय की दरों में वृद्धि | (हिंदी अनुभाग, रेल मंत्रालय)

उक्त मामला आन्तरिक वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय को दिनांक 12.07.10 को भेजा गया है| आंतरिक वित्त प्रभाग ने दिनांक 12.11.2010 को संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आगे की कार्रवाई हेतु भेजा है | मामले पर अंतिम निर्णय के पश्चात मंत्रालयों/विभागों को यथासमय सूचित किया जाएगा |

कार्रवाई – प्रशिक्षण अनुभाग, राजभाषा विभाग

4. सचिव, राजभाषा विभाग ने इस अवसर पर समिति को यह सूचित किया कि राजभाषा विभाग के लक्ष्य और अभिदेश को ध्यान में रखते हुए ‘लोगो’ के विन्यास पर विचार कर रहा है। उनके द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गई कि कितने विभागों/संगठनों का अपना ‘लोगो’ है । सूचित किया गया कि अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय, परमाणु उर्जा विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लघु उद्योग विकास संगठन, नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय ने अपने-अपने ‘लोगो’ की संरचना की है ।

5. बैठक अध्यक्ष के प्रति साभार समाप्त हुई ।